

अधिसूचना सं. फेमा.23(आर)/(7)/2025-आरबी

13 नवंबर 2025

विदेशी मुद्रा प्रबंध (माल और सेवाओं का निर्यात) (द्वितीय संशोधन) विनियमावली, 2025

विदेशी मुद्रा प्रबंध अधिनियम, 1999 (1999 का 42) की धारा 7, धारा 8 और धारा 47 की उप-धारा (2), द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए भारतीय रिज़र्व बैंक एतद्वारा विदेशी मुद्रा प्रबंध (माल और सेवाओं का निर्यात) विनियमावली, 2015 [\[दिनांक 12 जनवरी 2016 की अधिसूचना सं.फेमा 23\(आर\)/2015-आरबी\]](#), (जिसे इसके पश्चात 'मूल विनियमावली' कहा गया है), में निम्नलिखित संशोधन करता है, अर्थात्:

1. संक्षिप्त नाम और प्रारंभ:-

- (i) इस विनियमावली को विदेशी मुद्रा प्रबंध (माल और सेवाओं का निर्यात) (द्वितीय संशोधन) विनियमावली, 2025 कहा जाएगा।
- (ii) यह विनियमावली [सरकारी राजपत्र](#) में उसके प्रकाशन की तारीख से लागू होगी।

2. विनियम 9 में संशोधन:-

मूल विनियमावली में, विनियम 9 के -

- (i) उप-विनियम (1) में, 'नौ महीने' शब्दों के स्थान पर 'पंद्रह महीने' शब्द प्रतिस्थापित किए जाएंगे।
- (ii) उप-विनियम (2), खंड (क) में, 'नौ महीने' शब्दों के स्थान पर 'पंद्रह महीने' शब्द प्रतिस्थापित किए जाएंगे।

3. विनियम 15 में संशोधन:-

मूल विनियमावली में, विनियम 15 के -

- (i) उप-विनियम (1), खंड (i) में, 'एक वर्ष' शब्दों के स्थान पर 'तीन वर्ष' शब्द प्रतिस्थापित किए जाएंगे।
- (ii) उप-विनियम (1) के परन्तुक में, 'एक वर्ष' शब्दों के स्थान पर, 'तीन वर्ष' शब्द प्रतिस्थापित किए जाएंगे।
- (iii) उप-विनियम (2) में, 'एक वर्ष' शब्दों के स्थान पर, 'तीन वर्ष' शब्द प्रतिस्थापित किए जाएंगे।

(रोहित पी. दास)
क्षेत्रीय निदेशक

पाद टिप्पणी: मूल विनियमावली भारत सरकार के सरकारी राजपत्र- असाधारण - भाग-II, खण्ड 3, उप-खण्ड (i) दिनांक 12.01.2016-जीएसआर संख्या 19 (ई), में प्रकाशित की गयी थी और इसे बाद में निम्नानुसार संशोधन किए गए:

- i. जीएसआर संख्या 635 (ई) दिनांक 23.06.2017
- ii. [फेमा 23\(R\)/\(2\)/2019-आरबी दिनांक 03 दिसंबर 2019](#)
- iii. [फेमा 23\(R\)/\(3\)/2020-आरबी दिनांक 31 मार्च 2020](#)
- iv. [फेमा 23\(R\)/\(4\)/2021-आरबी दिनांक 08 जनवरी 2021](#)
- v. [फेमा 23\(R\)/\(5\)/2021-आरबी दिनांक 08 सितंबर 2021](#)
- vi. [फेमा 23\(R\)/\(6\)/2025-आरबी दिनांक 24 जून 2025](#)